राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(25)नविवि/सामान्य/2014पार्ट जयपुर, दिनांकः 17 JAN 2022

आदेश

वर्तमान में तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान/जोनल प्लान में भी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश एवं मौका स्थिति के दृष्टिगत स्पेशल एरिया दर्शाये गये है। जिसमें अनुज्ञेय गतिविधियों का निर्धारण राज्य सरकार के अध्याधीन है। अतः प्राधिकरण/न्यास द्वारा मास्टर प्लान में दर्शित विशेष क्षेत्र एवं उसके आस–पास चल रही गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर टिप्पणी मय भू–उपयोग निर्धारण बाबत् अनुशंषा राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1.	संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व/पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
3.	निदेशक आयोजना, विकास प्राधिकरण एवं वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक संबंधित नगर विकास न्यास।	सदस्य
4.	उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
5.	उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा की गयी अनुशंषा अनुमोदन हेतु मुख्य नगर नियोजक राजस्थान के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव एव माननीय मंत्री महोदय को प्रेषित की जावेगीं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
7. उप विधि परामर्शी/ उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम